तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/3234/2006/डूंगरपुर सरकार बनाम विजयसिंह व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य

उपस्थित–
श्री ओ0पी0भट्ट, उपराजकीय अभिभाषक प्रार्थी
विपक्षी बावजूद सूचना अनुपस्थित, अतः एकतरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांकः– 04–04–2019

यह रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 232 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत जिला कलक्टर डूंगरपुर के निर्णय दिनांक 14–09–2005 द्वारा राजस्व मण्डल को प्रेषित किया गया है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण ने एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा राज्य सरकार एवं अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त वाद पत्र में अंकित किया कि विवादित आराजी खसरा संख्या 962 रकबा 3 बिस्वा के संबंध में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी करें कि अतिक्रमण नहीं करें तथा अधिकार व उपभोग में बाधा स्वयं व अन्य से नहीं करावें। तत्पश्चात विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने वादी का वाद निरस्त कर अप्रार्थीगण के पक्ष में दिनांक 24–12–2002 को डिक्री पारित कर दी। उक्त अनियमित डिक्री को निरस्त करने हेतु अधीनस्थ जिला कलक्टर डूंगरपुर ने निर्णय दिनांक 24–9–2005 से हस्तगत रेफरेंस प्रस्तुत किया।

हमनें विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता की बहस रेफरेंस के सम्बन्ध में सुनी।

विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि विचारण न्यायालय ने मौखिक साक्ष्य के आधार पर विवादित

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/3234/2006/डूंगरपुर सरकार बनाम विजयसिंह व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आराजी बाबत अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री किया है। अतः पारित डिक्री राज. काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। उन्होंने कहा कि अप्रार्थीगण ने ऐसी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की प्रभावशील दिनांक 15–10–1955 को अप्रार्थीगण का कोई कब्जाकाश्त हो या लगान राशि का भुगतान किया हो। उनका मुख्य कथन है कि विवादित आराजी बिलानाम आबादी दर्ज की गई है। उनका तर्क है कि राज. काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत वही व्यक्ति खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है जो इस अधिनियम के समय भूमि पर काबिज हो। उनका कहना है कि सन् 1955 में अप्रार्थीगण का किसी प्रकार कब्जाकाश्त होना अभिलेख से प्रमाणित नहीं है। उन्होंने बताया कि अप्रार्थीगण ने वाद के समर्थन में जो मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की है व राजस्व अभिलेख के विपरीत होने के साथ–साथ विरोधाभासी है तथा वह अपूर्ण एवं अस्पष्ट होने से उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने राज. काश्तकारी अधिनियम की धारा 15, 5 (42) व (88) के प्रावधानों के विपरीत जाकर अप्रार्थीगण के पक्ष में वाद को डिक्री कर अनियमितता एवं अवैधानिकता की है। उपरोक्त परिवेश में उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर पारित डिक्री दिनांक 24–12–2002 विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत रेफरेंस स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर पारित डिक्री दिनांक 24–12–2002 को निरस्त करने की प्रार्थना की है। हमनें विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड का एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित रेफरेन्स का अवलोकन किया। सर्वप्रथम विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/3234/2006/डूंगरपुर सरकार बनाम विजयसिंह व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	द्वारा पारित डिक्री 24–12–2002 का सूक्ष्मता से अध्ययन किया। उपखण्ड अधिकारी बाडमेर के राजस्व वाद संख्या 143/2002 बउनवान विजयसिंह बनाम देवा वगैरहा में वादी का वाद निरस्त कर प्रतिवादीगण के पक्ष में डिक्री जारी की है। उक्त वाद बाबत अप्रार्थीगण ने स्थाई निषेधाज्ञा राज्य सरकार व अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया। रेकार्ड से प्रकट होता है कि खसरा संख्या 961 बाबत दिनांक 16–3–1959 को जो विक्रय पत्र निष्पादित किया गया, इसका नामान्तरकरण दावे के विचाराधीन रहने के दौरान भी स्वीकार नहीं किया गया, अर्थात 43 वर्षो से उक्त विक्रय पत्र का रेकार्ड में अमल नहीं हुआ है। मामले में प्रतिवाद पत्र के आधार पर खातेदारी का अनुतोष दिया गया है, उसका आधार देवा एवं मेगजी की साक्ष्य को आधार माना गया है, जिसमें से स्वतंत्र साक्ष्य वीरजी की है, जिन्होंने जिरह में स्वीकार किया गया कि उसे खसरा नम्बर का ध्यान नहीं है। इसके अतिरिक्त विचारण न्यायालय ने इस तथ्य की पुष्टि अपने निर्णय में नहीं की कि आराजी रेकार्ड में बिलानाम आबादी दर्ज थी। विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में बंदोबस्त द्वारा भूमि की किस्म परिवर्तन बाबत भी किसी प्रकार की व्याख्या नहीं की गई है। द्वितीय खसरा संख्या 962 जो कि वादी विजयसिंह के खाते में दर्ज थी तथा उसके रहनशुदा होने का अंकन प्रस्तुत अभिलेख में किया गया, जिसका विधिवत परीक्षण भी विचारण न्यायालय ने नहीं किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के अनुसार वही व्यक्ति खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है जो राज. काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय भूमि पर काबिज हो। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांक 15–10–1955 को प्रभावी हुआ तथा आराजी पर सन्	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/3234/2006/डूंगरपुर सरकार बनाम विजयसिंह व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

1955 में अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कब्जा होना प्रमाणित नहीं है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अप्रार्थीगण ने विवादित आराजी का लगान अदा किया हो। मामले में अप्रार्थीगण ने मात्र अपनी मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की है।

विचारण न्यायालय ने वादी के वाद को निर्णित करते समय किसी भी दस्तावेजी राजस्व रिकार्ड को आधार नहीं बनाया है। केवल मौखिक साक्ष्य के आधार पर खातेदारी देकर गम्भीर अवैधानिकता की है। प्रत्येक राजस्व ग्राम की जमाबंदी होती है। जमाबंदी में विवादित भूमि क्या दर्ज थी, यदि सरकारी दर्ज थी तथा अप्रार्थीगण का कब्जा पुराना होता तो नियमानुसार उन्हें अतिक्रमी मानते हुए भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत उन्हें बेदखल करने का नोटिस प्रतिवर्ष दिया जाता। परन्तु उनके द्वारा इस तरह का भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। खसरा गिरदावरी हर वर्ष तैयार होती है, जिसमें काश्त करने वाले कृषक का तथा फसल का अंकन होता है। यदि वादीगण का कोई कब्जा काश्त होता तो गिरदावरी की नकल प्रस्तुत करनी चाहिए थी, वह भी प्रस्तुत नहीं की गयी है। राजकीय भूमि लोक हित में सार्वजनिक उपयोग के लिए होती है। यह भूमि बिलानाम आबादी भूमि थी, इसलिए इसमें खातेदारी अधिकार दिया जाना न्यायोचित एवं लोकहित में नहीं है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1992 सुप्रीम कोर्ट (2) एस सी सी 312 एच.बी. गांधी एवं अन्य बनाम गोपीनाथ एण्ड सन्स में यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रासंगिक दस्तावेजों के बिना तथा अप्रासंगिक साक्ष्य को मानकर दिया गया निर्णय विधि विपरीत माना जावेगा।

हस्तगत रेफरेन्स में भी विचारण न्यायालय ने राजस्व

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/3234/2006/डूंगरपुर सरकार बनाम विजयसिंह व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

रिकार्ड के बाहर जाकर अप्रसांगिक एवं अप्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य के आधार पर भूमि पर कब्जा मानकर खातेदारी दी है, जो कि विधि के विपरीत है। हस्तगत प्रकरण पर एआईआर 1994 एससी पेज 1341 का न्यायिक दृष्टांत भी चस्पा होता है।

विचारण न्यायालय के द्वारा निर्णय में गम्भीर विधिक एवं प्रक्रियात्मक अनियमिताएं की गई है, इससे यह प्रकट होता है कि पीठासीन अधिकारी ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया एवं कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर अप्रार्थीगण को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से निर्णय दिया है। बिना साक्ष्य पर आधारित निर्णय विधि की दृष्टि में शून्य है, जिसे किसी भी स्थिति में यथावत रखना न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांतो के परिप्रेक्ष्य में उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24-12-2002 निरस्त होने योग्य है।

अतः रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24-12-2002 निरस्त किया जाता है।

पत्रावली उपरोक्तानुसार निर्णित की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर क्रम से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/3234/2006/डूंगरपुर सरकार बनाम विजयसिंह व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए